

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल(म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांक 1422 / दो-11-4 / 2022-23 भोपाल, दिनांक 04 सितंबर, 2023
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/5971/ चार-3-1/65 (एकजाई) जबलपुर, दिनांक 22.08.2023 के द्वारा इस न्यायिक जिला स्थापना के लिये निम्नांकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा के आधार पर सूची में सरल क्र. 1 लगायत 14 पर उल्लेखित अभ्यर्थीगण सहायक ग्रेड-तीन के पद पर वेतनमान ₹ 19500-62000(लेवल-4) में तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार प्रथम वर्ष न्यूनतम वेतन का 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% स्टायपेंड पर पूर्णतः अस्थायी व स्थानापन्न रूप से आदेश में दी गई सेवा की सामान्य शर्तों के अध्याधीन कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किये जाते हैं:-

स.क.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पूर्ण पता	वर्ग	चयनित वर्ग
01	कु. लक्ष्मी पासी पिता श्री भोलानाथ, निवासी-म.नं. 28, श्रीराम कालोनी फेस-2, सूरज नगर, भोपाल म.प्र. पिन 462044 मो.नं. 9074963198 ई-मेल laxmi.pasi@gmail.com	अनुसूचित जाति	अनारक्षित
02	श्री पीयूष चौरसिया पिता श्री चूरामणी चौरसिया, निवासी-ट्रेफिक पार्क के सामने, संजय ड्राइव रोड, बाघराज वार्ड, पंडापुरा, सागर म.प्र. पिन 470002, मो.नं. 9074983073, ई-मेल pcpiyush28@gmail.com	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित
03	कु. प्रियंका खरे पिता श्री कुलदीप खरे, निवासी-पुरानी टेहरी पावर हाउस के पास, टीकमगढ़ म.प्र. पिन 472001 मो.नं. 7879327466 ई-मेल priyaak000@gmail.com	अनारक्षित	अनारक्षित
04	श्री राघबेन्द्र परमार पिता श्री रमेश चंद, निवासी-म.नं. 26, गर्वमेंट स्कूल के पास, बडोखर, मुरैना म.प्र. पिन 476001 मो.नं. 7415748204 ई-मेल parmarraghav40@gmail.com	अनारक्षित	अनारक्षित
05	श्री शुभम लिल्हारे पिता श्री मिजाम सिंह लिल्हारे, निवासी-वार्ड नं. 7, हनुमान चौक, ग्राम बगदरा, पोस्ट अमेड़ा, तहसील+जिला बालाघाट म.प्र. पिन 481001, मो.नं. 7566176262 ई-मेल shubhamlilhare200@gmail.com	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित

06	श्री सूरज शर्मा पिता श्री सतीश शर्मा, निवासी-38/674, बालनिकेतन रोड, गोपालपुरा, मुरैना तहसील मुरैना, जिला मुरैना म.प्र. पिन 476001, मो.नं. 7987874707 ई-मेल surajmorena10@gmail.com	अनारक्षित	अनारक्षित
07	कु. सुजाता व्यास पिता श्री मनोज व्यास, निवासी-जैन मंदिर के पास, वानपुर दरवाजा टीकमगढ़ म.प्र. पिन 472001, मो.नं. 8305369549 ई-मेल sujatavyas384@gmail.com	अनारक्षित	अनारक्षित
08	कु. पल्लवी शेंडे पिता श्री रवि शंकर शेंडे, निवासी-ग्राम+पोस्ट दीनी, तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट म.प्र. पिन 481331 मो.नं. 7067918968 ई-मेल pallavi.shene08@gmail.com	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग
09	श्री प्रहलाद प्रजापति पिता श्री महाराज सिंह प्रजापति, निवासी-वार्ड नंबर 2, पटवारी कालोनी, भितरवार, जिला ग्वालियर म.प्र. पिन 475220, मो.नं. 7974503496 ई-मेल pintuprajapati445@gmail.com	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग
10	श्री गौरव साहू पिता श्री गौरीशंकर साहू, निवासी-बालाजी रेसीडेंसी के सामने, मंगलगिरि के पास, एकता कालोनी, अम्बेडकर वार्ड, सागर म.प्र. पिन 470002, मो.नं. 6267787412 ई-मेल gouravsahu2018@gmail.com	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग
11	श्री तुषार राठौर पिता श्री नरेंद्र राठौर, निवासी-म.नं. 2, आजाद वार्ड, चौकीपुरा बैतूल बाजार, जिला बैतूल म.प्र. पिन 460004 मो.नं. 8962102251 ई-मेल tusharrathore101@gmail.com	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग
12	श्री अजय अहिरवार पिता श्री हरगोविंद अहिरवार, निवासी-संत रविदास वार्ड क्रमांक 16, नई मकरोनिया, तहसील सागर, जिला सागर म.प्र. पिन 470004, मो.नं. 8965879567 ई-मेल ahirwarajay022@gmail.com	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
13	श्री भोपत सिंह चौधरी श्री नारायण सिंह चौधरी, निवासी-एल.आई.जी. 8, भारती निकेतन, गोविंदपुरा, भोपाल म.प्र. पिन 462023 मो.नं. 9424397838, ई-मेल bhopatpersonal@gmail.com	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति
14	श्री अभिषेक कश्यप पिता श्री मनोज कश्यप, निवासी-म.नं. 460, रोशनपुरा, भोपाल म.प्र. पिन 462003, मो.नं. 9993026304 ई-मेल abhikashyapa93@gmail.com	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति

// सेवा की सामान्य शर्तें //

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, जो किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह के वेतन भत्ते के समतुल्य राशि का भुगतान कर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी तथा यदि आप सेवात्याग करना चाहें तो एक माह पूर्व लिखित सूचना अथवा उसके एवज में एक माह के वेतन-भत्तों के समतुल्य राशि संबंधित शीर्ष में शासन के पक्ष में चालान द्वारा जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त राशि भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जावेगी।
2. जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शासकीय सेवा योग्य होने का आरोग्यता प्रमाण पत्र एक माह के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा तत्काल प्रभास से सेवायें समाप्त की जावेंगी।
3. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के नियम 6(6) अनुसार दो से अधिक संतान न करने का पालन सुनिश्चित करेंगे, उक्त नियम का पालन न करने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी।
4. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के परिपत्र क्र. एफ-9/3/2003/नियम/चार, भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के नियम लागू होंगे।
5. प्रथम नियुक्ति के समय सेवा-पुस्तिका में अपने समस्त शैक्षणिक व अर्हकारी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर उल्लेख कराना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि हेतु किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेकर अथवा स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। इसके अलावा किसी अन्य नियोजन के लिए बिना अनुमति व अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आवेदन नहीं कर सकेंगे।
6. नियुक्ति के समय प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक एवं अर्हकारी प्रमाण-पत्र असत्य अथवा कूटरचित पाये जाने पर आपके विरुद्ध अनुशासनिक तथा अभियोजन संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
7. इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके विरुद्ध कोई दण्डिक कार्यवाही किसी न्यायालय में विचारण हेतु अथवा किसी थाने में अनुसंधान हेतु लंबित नहीं है। इसके अलावा किसी भी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया गया है। यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। संबंधित पुलिस अधीक्षक के माध्यम से चरित्र सत्यापन कराए जाने पर सेवा के अयोग्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी तथा असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर अभियोजन के भागी होंगे।

8. शासकीय सेवक का सम्पूर्ण समय शासनाधीन है, जिनकी किसी भी समय सेवायें ली जा सकती हैं। इसके अलावा अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे और न ही सामान्यतः स्वीकृत अवकाश से अधिक उपभोग करेंगे।
9. मध्यप्रदेश सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 तथा मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016, संशोधित नियम 2019, के प्रावधान लागू होंगे।
10. चयनित अभ्यर्थीगण का तीन वर्ष तक अंतरमण्डलीय स्थानांतरण सामान्यतः प्रतिबंधित रहेगा, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासकीय आधार पर अंतरमण्डलीय स्थानांतरण किया जा सकेगा।
11. नियुक्ति आदेश प्राप्त होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण कर उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

-Sd-

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक 10889 दो-11-4/2023 भोपाल, दिनांक 04 सितम्बर, 2023
प्रतिलिपि-

1. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल म.प्र.
2. जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, भोपाल
3. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय/नजारत/कम्प्यूटर अनुभाग की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित अभ्यर्थीगणकी ओर पालनार्थ प्रेषित है।
5. लेखापाल/देयक लिपिक/सेवा पुस्तिका संधारण लिपिक/ओ.एम. कार्यालय अनुभाग/सी.पी.एफ. पासबुक लिपिक जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, भोपाल की ओर ई-मेल से भेजने के लिये करने एवं जिला न्यायालय भोपाल की वेबसाईट पर दर्शित करने के लिये प्रेषित है।

-Sd-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म0प्र0)